संख्या- 4/2026/ए029-20252026-001-82(1758847)

प्रेषक,

राज कुमार झा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त ,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषय:- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-ले0शा0/2123/162/3456-सिविल पूर्ति/2025-26, दिनांक 24-02-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को दूसरे निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि में से धनराशि रू0 69267.00 लाख (छ अरब बानवे करोड सरसठ लाख) मात्र की धनराशि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने तथा उक्त धनराशि में से द्वितीय चरण के प्रथम चक्र हेतु 50 प्रतिशत धनराशि रू0 34634.00 लाख अग्रिम आहरण की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क सिलेण्डर वितरित किये जाने के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक ‘‘3456-सिविल पूर्ति-102-सिविल पूर्ति योजना-03-नि:शुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का नि:शुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर रिफिल-42-अन्य व्यय ” में धनराशि रू0 150000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्राविधानित धनराशि में से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को द्वितीय चरण के द्वितीय चरण के प्रथम चक्र हेतु निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने हेतु आयुक्त (आपूर्ति) के पत्र दिनांक 24-02-2026 द्वारा प्रस्तुत मांग के आधार पर एवं मुख्यालय स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के आधार पर धनराशि रू0 34634.00 लाख (तीन अरब छियालीस करोड चौंतीस लाख मात्र) के अग्रिम आहरण की अनुमति के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.19 संख्या-ए-1-235/दस-2011-15- 1(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस- 2017-15/1(1)/69, दिनांक 18.09. 2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

---

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(4) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(11) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग प्रथमतः उन लाभार्थियों को लक्षित करना चाहेंगे, जिनके डाटा आधार प्रमाणित हैं। तीनों ऑयल कम्पनियों से संबंधित ए0सी0टी0सी0 डाटा से प्रमाणित डेटा के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

(12) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वितीय चरण हेतु अवशेष धनराशि यथासमय वास्तविक व्यय के आधार पर वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव संदर्भित करेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 34634.00 लाख (तीन अरब छियालीस करोड चौंतीस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 021 लेखा शीर्षक 3456001020300 नि:शुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइण्ड सोयबीन ऑयल एवं उज्जवला योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क एल.पी.जी. सिलेण्डर रिफिल मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 के अ0शा0 संख्या-ई-7-202/दस-2025-26, दिनांक 26-02-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

राज कुमार झा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्ला निंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यधनिष्ठान भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- निदेशक, वित्तीरय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (व्यवय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।